

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-1/पी०एम०सी०/विविध/477/11-

/राँची, दिनांक :-.....

आदेश

झारखण्ड PWD Code 2012 प्रासंगिक अधिसूचना एवं गजट द्वारा प्रकाशित हो चुका है । झारखण्ड PWD Code 2012 इन्टरनेट के Website [http: Jharkhand .gov.in/](http://Jharkhand.gov.in/) पर Road Construction Department के Publication के अर्तगत Rule पर अधिसूचना, गजट तथा Jharkhand PWD Code 2012 उपलब्ध है ।

उक्त Code के प्रावधानों के आलोक में सभी विभागीय कार्य जैसे निविदा एवं विभागीय अधिकारियों के दायित्वों एवं शक्तियों इत्यादि के संबंध में नये निदेश है । इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी PWD Code 2012 के प्रावधानों से अवगत हो लें । इस नये Code के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

ह०/-
(एस०के०सत्पथी)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-1/पी०एम०सी०/विविध/477/11-

1234

/राँची, दिनांक :-06.11.2012

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण/प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई तथा यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार/सभी प्रमण्डलीय लेखापदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/प्रबंध निदेशक (झालको), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/बेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को प्रकाशनार्थ ।

(एस०के०सत्पथी)
प्रधान सचिव